55
2018
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 55/2018(RCMS : 2018/00134) साधूराम नायक पुत्र श्री बुधराम नायक निवासी गांव पतरोडा तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>21.08.2018</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी साधूराम नायक स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है। अप्रार्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ का प्रतिवेदन क्रमांक 235 दिनांक 20.08.2018 की प्राप्त हुआ, जो शामिल किया गया।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी साधुराम नायक ने अपनी अपील में निवेदन किया है कि उसके द्वारा आर.टी.आई. एक्ट के तहत ऑन लाईन आवेदन 212928232574732 दिनांक 26.05.2018 को अनूपगढ एसडीएम से सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन किया था, किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी आर.टी.आई. एक्ट की धारा 7(1) के तहत निर्दिष्ट समय सीमा में जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है इसलिए उसे निःशुल्क सूचना प्रदान की जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी साधुराम नायक ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 26.05.2018 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

55 जिला कलैक्टर
2018 — श्रीगंगानगर

1. श्रीमान्जी सूचना का अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध करावें की अनूपगढ उप जिला कलक्टर के द्वारा जारी किये जा रहे जाति प्रमाण पत्र में जातियों की सूची में भारत के राजपत्र 1979 के अनुसार क्रम संख्या 10 पर कौनसी जाति वरणीष्ट है।
2. अनूपगढ उप जिला कलक्टर के द्वारा नायक जाति के जाति प्रमाण पत्र भारत के राजपत्र 1979 के अनुसार हिंदी में अनुसूचित जन जाति के जारी किये जा रहे है या नहीं।
3. अनूपगढ उपखण्ड में जाति प्रमाण पत्र की पटवारी किसी जाति की रिपोर्ट किस राजपत्र या पत्र के आधार पर उसकी श्रेणी की रिपोर्ट करते है कि प्रार्थी की अनुसूचित जाति या जन जाति है उस पत्र की प्रति प्रदान करें।
4. अनूपगढ उपखण्ड में पटवारी नायक जाति की रिपोर्ट अनुसूचित जाति की किस आधार पर कर रहे है और अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट किस आधार पर कर रहे है।
5. अनूपगढ में भील, नायक, धानका जाति के अनुसूचित जाति के अनुसूचित जन जाति के प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे है या नही
6. अनूपगढ उपखण्ड में तैनात पटवारी भारत के अनुछेद 348 के अनुसार व जाति प्रमाण पत्र की गाइड लाईन के अनुसार किसी जाति की रिपोर्ट अंग्रेजी में करते है या नही। कितने पटवारियों को अंग्रेजी पढनी या लिखनी नहीं आती, सूचना उपलब्ध करावें।

शा.ग.
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

SS जिला कलैक्टर
2018- श्रीगंगानगर

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपने प्रतिवेदन क्रमांक 235 दिनांक 20.08.2018 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा प्रार्थी साधुराम को अपने पत्रांक जाति/2018/1317 दिनांक 05.07.2018 से निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

> उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा एप्लीकेशन नं 21292832574732 दिनांक 26.05.2018 को लगायी गई है, जिसका जवाब निम्नानुसार है :
>
> 1. बिन्दु संख्या 1 का जवाब egazette.nic.in या WWW.sje.rajasthan.gov.in विभाग की बेवसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।
> 2. बिन्दु संख्या 2 प्रश्नवाचक है जिसकी सूचना आर.टी.आई. के अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है।
> 3. बिन्दु संख्या 3 प्रश्नवाचक है जिसकी सूचना आर.टी.आई. के अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है।
> 4. बिन्दु संख्या 4 प्रश्नवाचक है जिसकी सूचना आर.टी.आई. के अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है।
> 5. बिन्दु संख्या 5 प्रश्नवाचक है जिसकी सूचना आर.टी.आई. के अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है।
> 6. बिन्दु संख्या 6 प्रश्नवाचक है जिसकी सूचना आर.टी.आई. के अन्तर्गत दिया जाना संभव नहीं है।
>
> -Sd-
> उपखण्ड अधिकारी
> अनूपगढ

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
2018 श्रीगंगानगर

प्रार्थी द्वारा चाही गई समस्त सूचनाएं प्रश्नात्मक है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इसलिए **उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा अपने पत्रांक 1317 दिनांक 05.07.2018 से दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर